

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक .....

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, २०११ के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों को ₹१,७१,७३,९५३ (एक करोड़ एकहत्तर लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तिरपन रूपए मात्र) के अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो० नीति, २०११ के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक-०८.०३.१६ की बैठक में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-११०४ दिनांक-१५.०३.१६ के आलोक में निम्नांकित औद्योगिक ईकाइयों को उनके नाम के सामने अंकित विवरण के अनुसार पूँजीगत अनुदान/भू-खण्ड अनुदान/परियोजना प्रतिवेदन अनुदान/गुणवत्ता प्रमाणन अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

| क्रमांक | ईकाई का नाम/ पता   | अनुदान का विवरण               | अनुदान की राशि |
|---------|--|-------------------------------|----------------|
| ०१      | मेसर्स एम०भी०एस० इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, महली रोड, दीदारगंज, पटनासिटी, पटना     | पूँजीगत अनुदान                | ₹२६,०७,३२०/-   |
| ०२      | सर्वश्री जैन काटन इण्डस्ट्रीज, वृहत औ० क्षे०, बरारी, भागलपुर,                  | भू-खण्ड अनुदान                | ₹२,०३,७५५/-    |
| ०३      | मेसर्स अनोखी पेन्सिल प्रा० लि०, गौरीचक, सम्पतचक, पटना                          | पूँजीगत अनुदान                | ₹१०,९९,२९०/-   |
| ०४      | सर्वश्री पाटलीपुत्रा पोलीमर प्रा० लि०, औ० क्षे०, फतुहा, पटना                   | पूँजीगत अनुदान/भू-खण्ड अनुदान | ₹६७,७२,४६५/-   |
| ०५      | मेसर्स एम०एस०बी० पॉलीमर्स, दादी माँ बिस्कुट फैक्ट्री रोड, नासरीगंज, दीघा, पटना | पूँजीगत अनुदान                | ₹१६,८४,०६१/-   |

कृ०प०३०

|            |  |                    |                 |                       |
|------------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|
| 06         | मे० मनीषा ऑफसेट प्रिंटिंग, गुरहडा, पटना।                     | मिशनघाट, पटनासिटी, | पूँजीगत अनुदान  | ₹20,55,375/-          |
| 07         | मे० साई ऑफसेट, इलाहीबाग, इन फंट ऑफ विद्या निकेतन स्कूल, पटना | बैरिया,            | पूँजीगत अनुदान  | ₹13,50,106/-          |
| 08         | मे० आर्या टेक्निक इंजीनियर्स, नारायणपुर, पटना                | मिश्रीचक, बिहटा,   | पूँजीगत अनुदान  | ₹1,43,750/-           |
| 09         | सर्वश्री भगवती इण्डस्ट्रीज औ० प्रा०, बरारी, भागलपुर          |                    | पूँजीगत अनुदान  | ₹6,02,559/-           |
| 10         | सर्वश्री सरिता प्रेस, यूनिट नं०-2, राय हसनपुर, चाईटोला, पटना |                    | पूँजीगत अनुदान  | ₹5,87,520/-           |
| 11         | मे० शान्तिराज इण्टरप्राईजेज प्रा० लि०, महुआ शहीद, औरंगाबाद   |                    | गुणवत्ता अनुदान | ₹67,752/-             |
| <b>कुल</b> |  |                    |                 | <b>₹1,71,73,953/-</b> |

(एक करोड़ एकहत्तर लाख तिहत्तर हजार नौ सौ तिरपन रूपए मात्र)

(i) ईकाई न्यूनतम 5 वर्षों तक कार्यरत रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर ईकाई बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो भुगतान की गई राशि सूद समेत ईकाई से वसूल की जाएगी।

(ii) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि वसूल कर ली जाएगी।

2. उक्त राशि का व्यय वहन मांग-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-प्री-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड - P2852801020160 राज्य योजना स्कीम कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सब्सिडी में राज्यादेश संख्या-333, दिनांक-22.01.16 द्वारा अनुपूरक आगणन में उपबंधित राशि एवं आवंटनादेश संख्या 101/आ०, दिनांक-27.01.16 के द्वारा आवंटित राशि से विकलित होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से होगी।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान संबंधित ईकाइयों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/ RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर ईकाई का नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।/-

पटना, दिनांक.....

ह0/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक- 1142

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक...17.3.16.....

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ सभी संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/ कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार) आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सभी संबंधित ईकाइयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,  
बिहार, पटना